THE DELHI SCHOOL EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

to amend the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Delhi in the Sixty-sixth year of the republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Delhi School Education (Amendment) Act, 2015.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint.

Amendment of section 2.

2. In the Delhi School Education Act, 1973, herein after referred to as the 'principal Act', in section 2,- (18 of 1973)

(1) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ea) "capitation fee" means any kind of donation or contribution or payment, directly or indirectly in any form, other than the fee notified by the school;"

(2) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ha) "entry level class" means and includes a pre-primary or pre-school class for admission of a child below six years of age;";

(3) after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:-

"(va) "screening procedure" means the method of selection of admission of a child, in preference over another, other than a random method;".

Amendment of section 10(1).

3. In the principal Act, sub-section (1) of section 10 shall be substituted as under : "The salary and allowances payable to, and the terms and conditions of service of employees of recognized private schools shall be such as may be prescribed".

4. In the principal Act, after section 16, the following section shall be inserted, namely:-

Insertion of new section 16(A)

"16A. **No capitation fee and screening procedure for admission**.- (1) No school or person shall, while admitting a child in any class including entry level class, collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure.

Provided that the Head of the School may subject the child to any screening procedure for admission in class beyond elementary level.

(2) Any school or person, if in contravention of the provisions of sub-section(1) –

(a) receives capitation fee, shall be punishable with fine which may extend to ten times the capitation fee charged or rupees five lakhs whichever is more;

(b) subjects a child to screening procedure, shall be punishable with fine which may extend to five lakhs rupees for the first contravention and ten lakhs rupees for each subsequent contraventions.

(3) Director (Education) shall be the Competent Authority to impose the fine mentioned in section 16A of the act after affording a reasonable opportunity to the school.

Amendment of section 24

5.- In the principal Act, in section 24, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(4) If the manager of the recognized school fails to comply with any of the directions issued by Director or any other authority under this Act, the Director may, after considering the explanation or report, if any, given or made by the manager, take such action as he may think fit, including -

(a) written warning to the school, with directions to take remedial or corrective measures as directed;
(b) stoppage of aid, if any;
(c) imposition of fine;
(d) in case of embezzlement of school fund or concealment of income generated from the fee, order for recovery of said amount and depositing it in the government account or any other account directed to;
(e) suspension of admission at any class for a particular year or with a cumulative effect;
(f) taking over the management;
(g) withdrawal of recognition.".

Insertion of new sections after section 27.

6. In the principal Act, after section 27, the following sections shall be inserted, namely:-

"27A. **Offence and penalties**.- (1)Save as provided under this Act, whoever contravenes the provisions of this Act shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to a period of three years or fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend five lakhs rupees or both.

(2) The offences under this Act shall be non-cognizable and bailable and no court shall take cognizance of any offence under this Act except on the complaint of an officer not below the rank of such officer as the Government may authorise in this behalf.

27B. **Compounding of offence**. – (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, any offence punishable under this Act may be compounded by such officer not below the rank of Director as may be specially authorised by the Government in this behalf, either before or after the institution of the prosecution, on payment for credit to the Government of such sum as such officer or body may impose:

(2 of 1974)

Provided that such sum shall not, in any case, be less than fifty thousand rupees and, exceed the maximum amount of the fine which may be imposed under this Act for the offence to so compounded:

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to a person who commits the same or similar offence within a period of three years from the date on which the first offence committed by him was compounded.

Explanation-For the purposes of this sub-section, any second or subsequent offence committed after the expiry of a period of three years from the date on which the offence was previously compounded, shall be deemed to be a first offence.

(3) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken against the offender in respect of the offence so compounded, and the offender, if in custody, shall be discharged forthwith.

Amendment of section 28.

7. In the principal Act, in section 28, in sub-section (1), the words and figures "with the previous approval of the Central Government, and" shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The provisions of Delhi School Education Act, 1973 empower Head of the School to regulate admissions. There is no provision in the said Act to check any malpractices during the admission process in private unaided recognized schools.

The problem of charging capitation fee and subjecting child and their parents to various screening procedure by private schools have been faced and various complaints have been received by the Government. The Right to Free and Compulsory Education Act, 2009 has prohibited charging of capitation fee and screening procedure while admitting a child between the age of six years to fourteen years in a school. However, the said Act do not regulate the admission of children below the age of six years in the classes including pre-school and pre-primary.

Therefore it is proposed that provisions be made in Delhi School Education Act 1973 to prohibit the school from charging the capitation fee for admission in any class and screening procedure while admitting the child up to elementary level.

Presently, the Delhi School Education Act, 1973 has only two penal provisions, namely withdrawal of recognition and taking over management of school, both of which are extreme measures and hamper effective penal action. It is therefore proposed to include other penal provisions and a provision for imposition of punishment in case of violation of Delhi School Education Act & Rules, 1973 so as to make it more effective. Since Delhi has its own legislature now, it is proposed to omit the requirement of seeking prior approval of the Central Government for making any rule under Delhi School Education Rules, 1973.Further, it is proposed to amend section that ensures parity of staff salaries between private schools and government schools, and bring it in consonance with Right to Education Act, 2009.

Hence this Bill.

(Manish Sisodia)
Minister of Education

Dated:

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill does not involve any additional financial expenditure on the Government.

MEMORANDUM REGARDING DELEAGETD LEGISLATION

The Bill does not provide for delegation of legislative power on any subordinate authority.

		विधेयक सं.१०वर्ष 2015
	दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015	
	दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) के संशोधन हेतु विधेयक	
	भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में दिल्ली विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :–	
संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ	1. (1) इस अधिनियम को दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जाएगा। (2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होगा। (3) यह सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से लागू होगा।	
धारा 2 का संशोधन	2. दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18), एतद्पश्चात "प्रधान अधिनियम" के रूप में संशोधन संदर्भित, में धारा 2 में, – (1) उपवाक्य (ङ) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य अंतर्वेशित किया जाए, नामतः – "(ङक) ''कैपिटेशन फीस'' का अर्थ विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क से इतर किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी प्रकार का दान अथवा योगदान अथवा भुगतान है;"; (2) उपवाक्य (ज) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य अंतर्वेशित किया जाए, नामतः – "(जक) "प्रवेश स्तर कक्षा" के अर्थ में छह वर्ष से कम आयु के बच्चे के प्रवेश हेतु पूर्व–प्राथमिक अथवा पूर्व–विद्यालय कक्षा सम्मिलित है,"; (3) उपवाक्य (फ) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य अंतर्वेशित किया जाए, नामतः – "(फक) "छंटाई प्रक्रिया" का अर्थ, बच्चे के प्रवेश हेतु, यादृच्छिक विधि को छोड़कर, अन्य विधि पर अधिमान में, चयन विधि है," ;	(1973 का 18)
धारा 10(1) का संशोधन नई धारा 16(क) का अंतर्वेश	3. प्रधान अधिनियम में, धारा 10 की उप–धारा (1) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा। निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय के कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के निबंधन और शर्ते वे होंगी जो विहित की जाएं। 4. प्रधान अधिनियम में, धारा 16 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंतर्वेशित की जाएगी, नामतः – "16क. प्रवेश हेतु कोई कैपिटेशन फीस तथा छंटाई प्रक्रिया नहीं –	

	(1) कोई भी विद्यालय अथवा व्यक्ति, किसी बच्चे को प्रवेश स्तर की कक्षा सहित किसी भी कक्षा में प्रवेश देते समय कोई कैपिटेशन फीस वसूल नहीं करेगा तथा किसी बच्चे अथवा उसके अभिभावकों अथवा संरक्षकों के लिए छंटाई प्रक्रिया संचालित नहीं करेगा। परंतु शर्त यह है कि विद्यालय प्रमुख प्रारंभिक स्तर से आगे की कक्षा में प्रवेश के लिए छंटाई प्रक्रिया अपना सकता है। (2) कोई भी विद्यालय अथवा व्यक्ति, यदि उप–धारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में – (क) कैपिटेशन फीस प्राप्त करता है, अर्थदंड द्वारा दंडनीय होगा, जो प्रभारित कैपिटेशन फीस का दस गुना अथवा पांच लाख रूपए, जो भी अधिक है, तक हो सकता है; (ख) किसी बच्चे को छंटाई प्रक्रिया से गुजारता है, अर्थदंड द्वारा दंडनीय होगा, जो प्रथम उल्लंघन के लिए पांच लाख रूपए और प्रत्येक अनुवर्ती उल्लंघन के लिए दस लाख रूपए तक हो सकता है। (3) निदेशक (शिक्षा), विद्यालय को न्यायसंगत अवसर प्रदान करने के पश्चात, धारा 16क में वर्णित जुर्मानालागू करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।	
धारा 24 का संशोधन	5.– प्रधान अधिनियम में, धारा 24 में, उप–धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः – "(4) यदि मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रबंधक निदेशक अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किसी निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहता है, निदेशक, प्रबंधक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अथवा रिपोर्ट, यदि कोई है, पर विचार करने के उपरान्त, ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जो उसके द्वारा उपयुक्त विचारित की जाती है, जिसमें निम्न सम्मिलत हैं – (क) विद्यालय को लिखित चेतावनी, यथानिदेशित सुधार कार्यवाही अथवा उपायों हेतु निर्देशों के साथ; (ख) सहायता, यदि कोई है, रोकना; (ग) अर्थदंड लागू करना; (घ) विद्यालय निधि के गबन अथवा शुल्क से होने वाली आय छिपाने के मामले में, उक्त राशि की वसूली तथा इसको सरकारी खाते अथवा किसी अन्य निदेशित खाते में जमा करने हेतु आदेश; (ड़) किसी कक्षा में किसी वर्ष विशेष हेतु प्रवेश अथवा संचयी प्रभाव का निलम्बन; (च) प्रबंधन अधिग्रहीत करना; (छ) मान्यता वापस लेना।"	

धारा 27 के उपरांत नई धाराओं का अंतर्वेशन	6. प्रधान अधिनियम में, धारा 27 के उपरांत, निम्नलिखित उप–धाराएं अंतर्वेशित की जाएंगी, नामतः – "27क. अपराध और अर्थदंड – (1) इस अधिनियम के अधीन दी गई व्यवस्थाधारा 16 के सिवाय , कोई भी जो इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, दोषी पाए जाने पर, कारावास के दंड जो तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है अथवा कम से कम एक लाख रूपए के अर्थदंड, जो अधिकतम पांच लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है। (2) इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध गैर–संज्ञेय और जमानत योग्य होंगे और ऐसे अधिकारी जो सरकार की ओर से इसके लिए अधिकृत हों, की श्रेणी से कम के अधिकारी न हों, की शिकायत को छोड़कर, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। 27ख. अपराध का संयोजन –(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दी गई किसी भी व्यवस्था के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध को ऐसे अधिकारी, निदेशक की श्रेणी से कम न हो, द्वारा, जो सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है, अभियोजन प्रारंभ करने से पहले अथवा पश्चात, सरकार के क्रेडिट हेतु ऐसी राशि जो उक्त अधिकारी अथवा निकाय द्वारा लागू की गई है, के भुगतान पर संयोजित किया जा सकता है; परंतु कि ऐसी राशि किसी भी मामले में पचास हजार रूपए से कम नहीं होगी और इस अधिनियम के अधीन ऐसे संयोजित अपराध हेतु लागू की जा सकने वाली अर्थदंड राशि से अधिक नहीं हो सकती है; (2) उप–धारा (1) में दी गई व्यवस्था ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो उसके द्वारा प्रथम बार अपराध किए जाने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर समान अथवा समरूप अपराध करता है। व्याख्या :– इस उप–धारा के प्रयोजनार्थ, पूर्व संयोजित अपराध की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने तक किया गया दूसरा अथवा अनुवर्ती अपराध, प्रथम अपराध माना जाएगा। (3) जहां कोई अपराध उप–धारा (1) के अधीन संयोजित किया गया है, ऐसे संयोजित अपराध के संबंध में अपराधी के विरूद्ध कोई कार्यवाही अथवा भावी कार्यवाही, जैसी भी स्थिति है, नहीं की जाएगी तथा अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, तत्काल रिहा किया जाएगा।"	(1974 का 2)
धारा 28 का संशोधन	7. प्रधान अधिनियम में, धारा 28 में, उप–धारा (1) में, "केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, तथा" शब्द और अंक विलोपित किए जाएंगे।	

लक्ष्यों और कारणों का विवरण

दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधान विद्यालय प्रमुख को प्रवेश नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। उक्त अधिनियम मे निजी सहायता रहित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी दुराचार को रोकने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

निजी विद्यालयों द्वारा कैपिटेशन फीस वसूल करने तथा बच्चे और अभिभावकों को विभिन्न छंटाई प्रक्रिया से गुजारने की समस्या सामने आई है तथा सरकार द्वारा विभिन्न शिकायतें प्राप्त की गई हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा कैपिटेशन फीस वसूल करने तथा विद्यालय में छह वर्ष से चौदह वर्ष के बीच आयु के बच्चे को प्रवेश देते समय छंटाई प्रक्रिया से गुजारने पर पाबंदी लगी हुई है। तथापि, उक्त अधिनियम में छह वर्ष से कम आयु के बच्चें के पूर्व–विद्यालय तथा पूर्व–प्राथमिक इत्यादि कक्षाओं में प्रवेश के संबंध में कोई नियंत्रण प्रावधान नहीं है।

अतः, यह प्रस्ताव किया जाता है कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 में किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए कैपिटेशन फीस वसूल करने तथा आठवीं कक्षा तक छंटाई प्रक्रिया पर रोक हेतु प्रावधान किये जा सके।

वर्तमान में दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 में सिर्फ दो दंडात्मक प्रावधान उपलब्ध है जोकि विद्यालय की मान्यता रद्द करना तथा विद्यालय के प्रबन्धन को सरकारी नियत्रंण में लेना है। ये दोनों अत्याधिक कठोर कदम है जो प्रभावी दंडात्मक कार्यवाही को बांधित करते है। इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 में कुछ और दण्डात्मक प्रावधान एवम् सजा देने का प्रावधान शामिल किया जाए, ताकि इसे अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके। क्योंकि अब दिल्ली के पास अपनी विधायी शक्तियां है, इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के तहत बने नियमों में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति की आवश्यकता को विलोपित किया जाएं। इसके अलावा वर्तमान अधिनियम की वह धारा, जिसके द्वारा निजी विद्यालयों व सरकारी विद्यालयों के कर्मचारियों के बीच वेतन की समानता का प्रावधान है, में भी संशोधन का प्रस्ताव हैं, जोकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुरूप हो।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

(मनीष सिसोदिया)

शिक्षा मंत्री

दिनांक

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक में सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय निहित नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

इस विधेयक में किसी अधीनस्थ अधिकारी को किसी विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन की व्यवस्था नहीं है।